कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1452/अलीगढ़/11710/यूपी–068/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 13, 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0–22ए) किमी0 62.5 की बायीं पटरी पर ग्राम–अर्राना के खसरा सं0–203 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 09 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/48/2015/एफसी/1032, दि0 03.12.15
शासन का पत्रांक–भा0स0 164/14–2–2015–800(114)/2015, दिनांक 09.12.15

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा चिन्हित सूचनाओं के निराकरण हेतु प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुई थीं। भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी। वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक–1915/14–10, दिनांक 05.01.2016 द्वारा चिन्हित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दि0 05.01.16 एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रस्ताव की मूल प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:प्रस्ताव की दो प्रतियॉ।

भवदीय,

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।(उ0प्र0)

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।